दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
मंडल कार्यालय
कार्मिक विभाग
बिलासपूर –495 004
दू.भा. : 62430 , 07752.247030
फैक्स : 62934 , 07752.247030

SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY
Divisional Office
Personnel Department
Bilaspur – 495 004
Tele : 62430 (Rly) , 07752-247030 (DOT)
Fax : 62934 (Rly), 07752-247030 (DOT)

क्रमांक -पी/बीएसपी/भर्ती/एक्ट अप्रेंटिस/2019-20 दिनांक 10.06.2019

अधिसूचना

विषय :- वर्ष 2019-20 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर मण्डल में अप्रेंटिस एक्ट-1961 एवं अप्रेंटिस नियम-1962 के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिसो का चयन (Engagement) ।

1. दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर मण्डल में अप्रेंटिस एक्ट-1961 के अंतर्गत निम्नलिखित पदनामित ट्रेड्रों पर अप्रेंटिस के रूप में चयन (Engagement) के लिए बिलासपुर मण्डल हेतु पात्र उम्मीदवारों से www.apprenticeship.gov.in web वेबसाइट पर दिनाक 16.06.2019 से 15-07-2019 (शाम 6 बजे तक) ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ।

अ) रिक्तियों / पदों की संख्या (ट्रेड अनुसार):

क्र	ट्रेड	अना	ई डब्ल्यू एस	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	भू.पू.सै.	दिव्यांग
1	कोपा	37	09	24	13	07	**90**	09	03
2	स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)	08	02	05	03	02	**20**	02	01
3	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	08	02	05	03	02	**20**	02	01
4	फिटर	32	08	22	12	06	**80**	08	03
5	इलेक्ट्रीशियन	19	05	14	08	04	**50**	05	01
6	वायरमैन	19	05	14	08	04	**50**	05	01
7	इलेक्ट्रांनिक / मैकेनिक	02	01	02	01	00	**06**	01	00
8	आर. ए. सी. मैकेनिक	02	01	02	01	00	**06**	01	00
09	वेल्डर	16	04	11	06	03	**40**	04	01
10	प्लम्बर	03	01	03	02	01	**10**	01	00
11	मेसन	03	01	03	02	01	**10**	01	00
12	पेन्टर	03	01	03	02	01	**10**	01	00
13	कारपेन्टर	03	01	03	02	01	**10**	01	00
14	मशीनिष्ट	03	01	03	02	01	**10**	01	00
15	टर्नर	03	01	03	02	01	**10**	01	00
16	शीट मेटल वर्कर	03	01	03	02	01	**10**	01	00
कुल		164	44	120	69	35	**432**	44	10

2. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता :-

अ) अभ्यर्थी को 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत 10 वी (मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।

ब) अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से संबन्धित ट्रेड में आई.टी.आई. की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

3. आयु सीमा :

अभ्यर्थी की आयु दिनाक 01.07.2019 को 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष से ज्यादा नही होना चाहिए ।

*अधिकतम आयु सीमा में अजा/अजजा के उम्मीदवारों को 5 वर्ष एवं अपिव के उम्मीदवारों को 3 वर्ष, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट होगी । समुदायवार जन्म तिथि निम्नानुसार होनी

Scanned by CamScanner

क्रम	समुदाय	अभ्यर्थी
1.	अनारक्षित	01/07/1996 से 01/07/2005
2.	अनुसूचित जाति	01/07/1990 से 01/07/2005
3.	अनुसूचित जनजाति	01/07/1990 से 01/07/2005
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	01/07/1993 से 01/07/2005
5.	दिव्यांग/ भूतपूर्व सैनिक	01/07/1986 से 01/07/2005

* उम्र में छूट हाल का जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर ही मिलेगी।

4. अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अवधि एवं छात्रवृति:-

चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षु के रूप मे engage किए जाएंगे तथा उन्हें केवल् 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षुता/अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उन्हें छतीसगढ़ राज्य सरकार के नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान वजीफा/ छात्रवृति का भुगतान किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरा कर लेने के बाद उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा।

5. चयन प्रक्रिया :-

प्रवीणता सूची बनाने हेतु निम्नलिखित मापदंड अपनाया जाएगा, अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक (न्यूनतम 50% अंक अहर्ता हेतु आवश्यक होगा) तथा आई.टी.आई. मे प्राप्त अंक प्रतिशत को समान भारता देते हुये प्रवीणता सूची जारी की जाएगी। (स्थापना नियम क्रमांक 201/2017)

6. चिकित्सा परीक्षण :-

चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 और परिशिष्ट नियम 1992 के पैरा 4 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र में दस्तावेज़ सत्यापन के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र लाने की सलाह दी जा सकती है। मेडिकल सर्टिफिकेट पर सरकार द्वारा अधिकृत केंद्रीय / राज्य शासन के अस्पताल के सर्जन डॉक्टर (राजपत्रित) से हस्ताक्षर होने चाहिए, तथा सहायक सर्जन से नीचे का नहीं होना चाहिए ।

7. संविदा :

चयनित उम्मीदवार को अनुबंध देना होगा या, यदि वह नाबालिग है, तो उसके अभिभावक को नियोक्ता के द्वारा जारी शिक्षुता के अनुबंध में पालक / अभिभावक का हस्ताक्षर किया जाना है।

8. रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव :

प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात किसी भी प्रशिक्षु को किसी भी रोजगार के प्रस्ताव के लिए नियोक्ता बाध्य नहीं होगा और न ही प्रशिक्षु नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित किसी भी रोजगार को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा । अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है की वे अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत नियमों एवं अधिनियमों की भली भांति जानकारी प्राप्त कर लें ।

9. भूतपूर्व सैनिक :-

10% आरक्षण के तहत चयनित भूतपूर्व सैनिक उनके बच्चे एवं सशस्त्र बल जवानों के बच्चे जो उन्हें प्रदान किया गया है, अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के भूतपूर्व सैनिक को उनकी संबंधित श्रेणी मे रखा जाएगा एवं उन्हें अप्रेंटिसशिप के लिए नीचे दिये गए विवरण के अनुसार नियुक्त किया जाएगा ।

क) मृत सैनिक के बच्चे/ युद्ध के समय मारे गए/ दिव्यांग सैनिक सहित, ख) भूतपूर्व सैनिक के बच्चे , ग) सेवारत अधिकारी के बच्चे, घ) भूतपूर्व सैनिक, ङ) सेवारत जवान के बच्चे ।

10. आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि :

पूर्ण रूप से भरे गए ऑन लाइन आवेदन को केवल ऑनलाइन प्रक्रिया से दिनांक 16.06.2019 से 15.07.2019 शाम 6 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा। कृपया आवेदन की दैहिक(Physical)प्रति इस कार्यालय को न भेजें ।

Scanned by CamScanner

11. अभ्यर्थी के लिए सामान्य निर्देश:-

(क) आवेदन केवल निम्नलिखित वेब के माध्यम से ही करें , वैबसाइट का पता - www.apprenticeship.gov.in

(ख) यदि अभ्यर्थी अजा/अजजा/अपिव समुदाय से हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हाल ही का जाति प्रमाण पत्र को वेब पोर्टल पर अपलोड करें।

(ग) किसी भी प्रकार के पैरवी या दबाब डालने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

(घ) आवेदक को प्रशिक्षु के रूप मे ज्वाइनिंग के पहले आने जाने पर किसी भी प्रकार का टीए /डीए नहीं दिया जाएगा।

(ङ) यदि अभ्यर्थी सत्यापन के लिए अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में अक्षम हो एवं किसी प्रकार के विसंगति देखी जाती है तो उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

(च) यदि रेल प्रशासन को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि अभ्यर्थी/चयनित अभ्यर्थी ने गलत /जाली /झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है तो रेल प्रशासन किसी भी चरण मे, चयन होने के बाद जारी प्रशिक्षण के दौरान भी बिना किसी सूचना के बर्खास्त करने का अधिकार रखता है।

(छ) रेल प्रशासन अभ्यर्थी का चयन न होने या बुलाबा न मिलने पर जवाब भेजने के लिए किसी प्रकार का उत्तदायित्व नहीं लेता है। इस कार्यालय मे जमा किए गए आवेदन के संबंध मे किसी भी व्यक्ति या संगठन से पत्राचार नहीं किया जाएगा।

(ज) जो दिव्यांग का लाभ लेना चाहते है वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें (अर्थात केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी)

(झ) अभ्यर्थी के आवेदन की स्वीकृति , अस्वीकृति , पात्रता संबंधित निर्णय एवं चयन के प्रकार हेतु रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

13. सहायता हेतु: इस कार्यालय के दूरभाष नम्बर 07752-243635 मे सम्पर्क की जा सकती है ।

नोट:- किसी संशय/ विरोधाभाष कि स्थिति मे अधिसूचना की अंग्रेजी प्रारूप ही मान्य होगा।

(उदय कुमार भारती)
वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी
दिनांक :- 10.06.2019

सं- पी/बिलासपुर/भर्ती /एक्ट अप्रेंटिस/2019-20

प्रतिलिपि :-

1. जिला रोजगार अधिकारी/बिलासपुर (छ.ग.), 2. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी /द.पू.म.रे./बिलासपुर को सूचनार्थ, 3. मुख्य जन संपर्क अधिकारी/द.पू.म.रे./बिलासपुर से अनुरोध है कि स्थानीय अखबारों में प्रकाशन सुनिश्चित करें 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) , द.पू.म.रे./बिलासपुर 5. समस्त शाखा अधिकारी, सुपरवाइजरी इकाई, बिलासपुर मंडल , 6 मंडल समन्वयक द.पू.म.रे./मजदूर कांग्रेस, बिलासपुर मंडल , 7. मंडल सचिव, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अभा. अजा./अजजा. रेल कर्मचारी संघ/बिलासपुर मंडल, 8. मंडल कार्मिक अधिकारी, सहायक कार्मिक अधिकारी, 9. समस्त कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक /बिलासपुर मंडल एवं 10. सूचना पटल।

(उदय कुमार भारती)
वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी

Scanned by CamScanner

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
मंडल कार्यालय
कार्मिक विभाग
बिलासपुर –495 004
दू.भा. : 62430 , 07752 247030
फैक्स : 62934 , 07752 247030

SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY
Divisional Office
Personnel Department
Bilaspur – 495 004
Tele : 62430 (Rly) , 07752-247030 (DOT)
Fax : 62934 (Rly), 07752-247030 (DOT)

No. P/BSP/Rectt/Act. Apprentice/2019-20 **Date:-10.06.2019**

Skill India

Sub: Engagement of Act Apprentices in South East Central Railway, Bilaspur Division for the year 2019 - 20 under Apprentices Act 1961 and Apprenticeship Rules 1962.

1. **Online application through the website: www.apprenticeship.gov.in** from **16.06.2019** to **15.07.2019** (till 18.00 hrs) are invited from the eligible candidates for engagement as Trade Apprentices under Apprentices Act 1961 in Bilaspur Division of South East Central Railway against the following designated trades:

a) Vacancies/No.of posts(trade wise):

Srl. No.	Trade	UR	EWS	OBC	SC	ST	Total	ExSM	PWD
1	COPA	37	09	24	13	07	90	09	03
2	Stenographer(English)	08	02	05	03	02	20	02	01
3	Stenographer(Hindi)	08	02	05	03	02	20	02	01
4	Fitter	32	08	22	12	06	80	08	03
5	Electrician	19	05	14	08	04	50	05	01
6	Wireman	19	05	14	08	04	50	05	01
7	Electronic Mechanic	02	01	02	01	00	06	01	00
8	RAC Mechanic	02	01	02	01	00	06	01	00
9	Welder	16	04	11	06	03	40	04	01
10	Plumber	03	01	03	02	01	10	01	00
11	Mason	03	01	03	02	01	10	01	00
12	Painter	03	01	03	02	01	10	01	00
13	Carpenter	03	01	03	02	01	10	01	00
14	Machinist	03	01	03	02	01	10	01	00
15	Turner	03	01	03	02	01	10	01	00
16	Sheet Metal Worker	03	01	03	02	01	10	01	00
	Total	**164**	**44**	**120**	**69**	**35**	**432**	**44**	**11**

2. Educational/technical qualification:

a) Must have passed 10[th] class examination under 10+2 system or its equivalent.
b) Must have passed ITI course in relevant trades from a recognised institution.

3. Age limit:

The candidate should have completed 15 yrs of age and should NOT have completed 24 yrs of age as on 01.07.2019. The upper age* limit is relaxable by 05 yrs for SC/ST candidates, 03 yrs for OBC and 10 yrs for Ex-serviceman and PWD. The date of birth community wise is furnished below:

Srl.No	Community	Date between which the candidate should be born(both dates inclusive)
1	UR	01-07-1996 to 01-07-2005
2	SC	01-07-1991 to 01-07-2005
3	ST	01-07-1991 to 01-07-2005
4	OBC	01-07-1993 to 01-07-2005
5	PWD/Ex-servicemen	01-07-1996 to 01-07-2005

* Age relaxation is subject to submission of latest caste certificate.

Scanned by CamScanner

4. The period of apprenticeship and stipend:

Selected candidates will be engaged as apprentices and they will undergo apprenticeship training for a period of 1 year for each trade. They will be paid stipend during their training as per the rules of State Government of Chhattisgarh. Their training will be terminated after the completion of their apprenticeship.

5. Criteria for preparing merit list in the selection :

The following criteria in prescribed for preparation of merit in the selection- Taking the average of the % age marks obtained by the candidates in both Matriculation(with minimum 50% (aggregate) marks] and ITI examination giving equal weightage to both (establishment rule 201/2017).

6. Medical Examination

Selected candidates may be advice to bring medical certificate at the time of document verification in the prescribed proforma as per Apprenticeship Act 1961 and Para 4 of the Apprenticeship Rule 1992(As amended from time to time). The medical certificate should be signed by Government authorised Doctor(Gaz.), Not below the rank Asstt. Surgeon of Central /State Hospital.

7. Contract:

The selected candidates or, if he is minor, his guardian has be enter into a contract of apprenticeship with the employer.

8. Offer of acceptance for engagement:

It is not obligatory on the part of employer to offer any employment to any apprentice after completion of training, nor shall it be obligatory for the apprentice to accept any employment, if offered by the employer. The candidates are advised to get themselves familiarized with the rules and regulation under the Apprentices Act.1961.

9. EX-servicemen:

Ex-servicemen candidates selected under the the reservation of 10% provided for them are to be placed in the appropriate category viz. UR/SC/ST/OBC to which they belong. Reservation to Ex-Servicemen, their children and children of armed forces personnel will be as per details mentioned below:-

(a) Children of deceased/Disabled Ex-servicemen including those killed/disabled during peace time.
(b)Children of Ex-servicemen, (c) Children of Serving Officer, (d) Ex- Servicemen
(e) Children of serving Jawan

10. Last Date for receipt of application:

The online application completed in all respect, can be submitted through online from 16.06.2019 to 15.07.2019 (18.00 hrs) No physical copy of the application is required to be sent to this office.

11. General instruction to the candidates:

(a) Applications must be submitted online only on the web address www.apprenticeship.gov.in
(b) If a candidate belongs to SC/ST/OBC community, he should upload recent caste certificate issued by competent authority on the above web portal.
(c) Canvassing in any form shall disqualify the candidate.
(d) No Travelling Allowance/Daily Allowance shall be paid to the candidates.
(e) The candidates will have to upload soft /scanned copy of present passport size colour photograph and scanned signature along with necessary documents pertaining to educational/technical qualification on the website.
(f) Candidature of the candidate shall be cancelled if he/she fails to produce the required original testimonials for verification or any discrepancy noticed.
(g) If it is noticed by the railway administration that the applicant has furnished wrong/fake/false certificates, the railway administration reserves the right to discharge the candidate/selected candidate at any stage without notice even after his selection to undergo training.

Scanned by CamScanner

(h) The Railway administration does not undertake any responsibility for sending reply to the candidate either selected or otherwise. No correspondence in respect of the applications submitted shall be entertained or replied by this office to any individual or organization.

(i) Persons With Disability (PWD) who want to avail the benefit for reservation must produce a disability certificate issued by a competent authority with not less than 40% of disability i.e. Medical Board duly constituted by the Central or State Government.

(j) The decision of the Railway administration in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the applications and mode of selection shall be final.

12. Helping Contact:-

In case of any query, please contact this office landline No.07752-243635 during office hours only.

10/6

(Uday Kumar Bharti)
Sr. Divil. Personnel Officer

No.P/BSP/Rectt/Act App/2019 – 2020 **date 10.06.2019**

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. District Employment Officer-Bilaspur.
2. PCPO/SECR/BSP for Information.
3. P. C.P.R.O./SEC Railway/BSP for publication
4. CAO (Con.)/SECR/BSP.
5. All Branch Officer for information of thair/Supervising Units/Bilaspur Division.
6. Divil. Co-ordinator/SECRMC/BSP Division.
7. Divil. Secy. OBC and SC/ST Rly. Employee Associations.
8. DPO/APO of this office.
9. All S & WIs of this office.
10. Notice Boards.

10/6

(Uday Kumar Bharti)
Sr. Divil. Personnel Officer

Scanned by CamScanner